

18/2
18

डिप्लोमा के क्लीक अनुपासिका रिश्तो. की
तल्लेखी हेतु समन तल्लेखाना पेक्षा नही किया
है जबकि पूर्व के पर्याप्त अक्षर पुदान
किये गये हैं। बीज न्यायालय समग्र में
डाला-डाला तीन बार डिप्लोमा के
उनके अधिकारों के अन्तर्गत होने के
लिखे आवाज लगाई, किंतु बावजूद
व्यक्त अनुपासिका रहे कि शासिका आदेश
की पालना नहीं की है। लिहाजा डिप्लोमा
की यह क्लीक बीदक हजरी में ^{एवं} न्यायालय

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

बादशाही की खोजना के लिये खारिज
की जाती है। मिसल फेरल सुनार होकर
नम्बर ले करत हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

जला कलक्टर
बाडमेर